उद्योग बन्धु की त्रिपक्षीय बैठकों के परिणामों से उद्यमियों को बंधी आस

सरकारी विभागों को समयबद्ध रूप से निर्णयों को लागू करना होगा

लखनऊ, 24 जुलाई 2013

'उद्योग बन्धु' के अधिशासी निदेशक व प्रमुख सचिव– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, डॉ. सूर्य प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उद्यमियों की लम्बित समस्याओं के केस–टू–केस आधार पर निराकरण हेतु त्रिपक्षीय बैठकों का तीन दिवसीय सिलसिला आज उत्साहजनक रूप से समाप्त हुआ। इस बात पर जोर दिया गया कि सरकारी विभागों द्वारा उद्यमियों के प्रकरणों पर और अधिक साकारात्मक व त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रमुख सचिव– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने कहा–"प्रदेश में औद्योगिक प्रगति के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण आश्यक है।" उन्होंने कहा कि जो विभाग इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को समय से लागू नहीं करेंगे उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों कि विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

डॉ. सिंह ने कहा–"औद्योगिक इकाइयों से संबंधित विभागों को उद्यमियों की समस्याओं को सकारात्मक रुख अपनाते हुए सुलझाना चाहिए।"

इन त्रिपक्षीय बैठकों में प्रदेश के उद्यमियों की विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित कुल 47 प्रकरणों के समाधान हेतु विचार किया गया। अधिकतर प्रकरणों का निराकरण कर सम्बन्धित विभाग को समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। बैठकों में उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय प्रतिभाग किया।

इन तीन दिनों में महत्वपूर्ण औद्योगिक मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया गया, जिसमें उद्योगों पर लागू गृह कर की दर, सम्पर्क मार्गों का विकास व चौड़ीकरण, प्रदूषण, मण्डी शुल्क, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रीसिटी ड्रूटी से छूट, विद्युत संयोजन, कन्नौज की एसेन्शियल ऑयल इस्तेमाल करने वाली सुगन्ध बनाने वाली इकाइयों को वैट में माफी, औद्योगिक भूखण्डों के भौतिक कब्जे तथा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों को ई.एस.आई.सी. भारत सरकार को हंस्तातरित करना आदि शामिल हैं।

जिन प्रकरणों का समाधान किया गया वे प्रमुख रूप से इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से छूट, डी–नेचर्ड स्प्रिट पर इनपुट टैक्स रिफण्ड, औद्योगिक भू–खण्ड का कब्जा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र, सम्पर्क मार्गों का विकास व चौड़ीकरण तथा मण्डी शुल्क से छूट आदि से सम्बन्धित हैं।

उद्योग बन्धु द्वारा अपनाई जा रही नई कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए गाज़ियाबाद इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन के महासचिव, अनिल गुप्ता ने कहा कि उद्योगों की समस्यों के निराकरण के लिए इस प्रकार की बैठकों को जल्दी–जल्दी कराया जाना चाहिए।

फिरोज़ाबाद में विश्व–प्रसिद्ध काँच के उत्पाद बनाने वाली इकाइयों की इस मांग पर कि उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन पुरानी इकाइयों को अनापत्ति प्रदान करे, जो गैस–आधारित इकाई चलाने को तैयार हैं, यह निर्णय लिया गया कि उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निकट भविष्य में फिरोज़ाबाद में इस हेतु एक कैम्प लगाएगा। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायलय के इस आदेश के बाद कि केवल गैस–आधारित उद्योग कार्य कर सकेंगे, फिरोज़ाबाद में लगभग 625 इकाइयाँ बन्द हो गई थीं, इनमें से 184 इकाइयाँ अब गैस–आधारित ईधन का उपयोग कर उत्पादन करना चाहती हैं।

उद्योग बन्धु के संयुक्त अधिशासी निदेशक–कौशलराज शर्मा ने सूचित किया कि कुछ नीति–विषयक प्रकरणों को मुख्य सचिव स्तर पर आगामी माह में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

ज्ञात हो कि उद्योग बन्धु प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की नोडल संस्था है, जो उद्यमियों के लम्बित मामलों के निवारण के लिए त्रिपक्षीय बैठक कराता है, जिसमें उद्यमी व सम्बन्धित विभाग के मध्य बैठक कराई जाती है और समस्याओं के समाधान हेतु निर्णय लिये जाते हैं।